>

Title: Introduction of the Constitution (One Hundred and Fourteenth Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Articles 217 and 224).

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I introduce the Bill.

MADAM SPEAKER: Now, matters of urgent public importance.

श्री **सेयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर):** भैडम, हमने विश्वनाथन आनन्द के संबंध में नोटिस दिया है, उनका अपमान हुआ है_।

अध्यक्ष महोदया : किसका अपमान हुआ हैं?

श्री सेंयद शाहनवाज़ हुसेंन : मैंडम आपने विश्वनाथन आनन्द को चेयर से बधाई दी हैं। उनका अपमान हुआ हैं और उनकी भारतीयता पर शक जाहिर किया गया हैं। मैंने नोटिस दिया हैं और वह लिस्टेड भी हैं। ...(<u>व्यवधान</u>)

अध्यक्ष महोदया : आपकी नोटिस यहां हैं।